न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांकः 11.01.2021

प्रार्थना–पत्र संख्या :–04/2021

RCMS NO:- 2021/23

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. कमरूद्दीन पुत्र ख्वाजू मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. भंवर खां पुत्र आसीन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. जकिर हुसैन पुत्र आसीन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. युसूफ मोहम्मद पुत्र आसीन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
5. हुसैन मोहम्मद पुत्र शरीफ जाति मुसलमान निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
6. शनीम बानों पत्नी शरीफ जाति मुसलमान निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
7. नहनू मिया पुत्र ख्वाजू मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
8. रोशन पुत्र मुश्ताक जाति मुसलमान निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
9. शहनाज बानो पत्नी मुश्ताक जाति मुसलमान निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. प्रमोद कुमार पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. कमलेश पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. निरमा बाई पुत्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
5. रिंकू कुमारी पुत्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
6. मनभर बाई पत्नी किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
7. हलीमा पत्नी आसीन खां जाति मुसलमान निवासी छोटी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
8. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री दिनेश कुमार पाण्डेय

प्रत्यार्थीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी

निर्णय दिनांक 02.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम छोटी पडाप पटवार हल्का रजलावता तहसील नैनवां के प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 72 रकबा 10–11 बीघा व प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 453/73 रकबा 02–01 बीघा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की जमाबंदी में दर्ज आसीन, शरीफ, एवं मुश्ताक का देहावसान हो चुका है। आसीन के वारिस 2 लगायत 4 एवं अप्रार्थी सं. 7 है तथा शरीफ के वारिस प्रार्थीगण 5 लगायत 6 है मुश्ताक के वारिस प्रार्थीगण 8 लगायत 9 है। हरानी पत्नी ख्वाजू मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी है जिसके भी वारिस प्रार्थीगण ही है। यह कि राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी, परिशिष्ट अ खसरा संख्या 74,75,76 व 453/73 में होकर निकल रहा है। खसरा संख्या 453/73 के उत्तरी पश्चिमी काने से एक रास्ता खसरा संख्या 72 पर जाता है जिसे परिशिष्ट'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है । यह रास्ता अर्वाचीन है, जिससे प्रार्थीगण अपने

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:22:56 IST
Reason: SelfAttested

भूमि खसरा संख्या 72 में आवागमन कर रहे है इस रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता नही है। यह 20 फीट चौडा है। इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से बताया है इस रास्ते का प्रार्थीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। यह कि राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज ना होने के कारण अप्रार्थीगण रास्ते को अवरूद्व करने का प्रयत्न करते है यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को 20 फुट चौडा रास्ता घोषित करवा कर उक्त रास्ते का राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में अंकन कराये एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाये की अप्रार्थीगण रास्ते को अवरूद्व नहीं करें, सुखाधिकार में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ऐसा किसी अन्य से करवायें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के जवाब अनुसार प्रार्थीगण खसरा संख्या 76 व 74 के मध्य स्थित मेड पर सदैव से निकलता चला आ रहा है प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के अलावा अन्य रास्ता मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

तहसीलदार नैनवॉं की रिपोर्ट अनुसार ग्राम छोटी पडाप पटवार हल्का रजलावता तहसील नैनवां के प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 72 पर पहुंचने के लिए मुताबिक रिकॉर्ड कोई भी रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण खसरा संख्या 453/73 में से रास्ता दिया जाना उचित है। यह है कि खसरा संख्या 453/73 में से रास्ता उपलब्ध कराने पर 5*2 गट्ठा अर्थात 0.5 बिस्वा भूमि रास्ता दिया जा सकता है जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है। यह है कि इसके अलावा वैकल्पिक अन्य खसरा संख्या 74 में से भी रास्ते हेतु 4*2 गटठा अर्थात 0.4 बिस्वा भूमि का रास्ता दिया जा सकता है जिसे परिशिष्ट "क" में हरी स्याही से अंकित किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम छोटी पडाप पटवार हल्का रजलावता तहसील नैंनवां की कृषि भूमि खसरा सं 72 पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा सख्या 453/73 में से रास्ता उपलब्ध कराने पर 5*2 गटठा अर्थात 0.5 बिस्वा भूमि परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से बिन्दु "ए से बी" दर्शाया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की कीमत वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे । नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:22:56 IST
Reason: SelfAttested